भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 681

जिसका उत्तर 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

25 भाद्रपद, 1942 (शक)

डाटा संरक्षण कानून

681. श्री के. षणमुग सुंदरम :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डाटा संरक्षण के संबंध में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णन रिपोर्ट तथा डाटा संरक्षण संबंधी प्रारूप कानून प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत डाटा का वर्गीकरण तथा अत्यधिक संवेदनशील डाटा की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रिपोर्ट में किए गए व्यक्तिगत डाटा के वर्गीकरण डाटा के वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार प्रस्तावित कानून में गैर-व्यक्तिगत डाटा को शामिल करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख)** : जी, हां। न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा ने अपनी रिपोर्ट के साथ साथ मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिधेयक, 2018 को दिनांक 27 जुलाई, 2018 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।अध्यक्षता में डेटा संरक्षण पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की। श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक https://meity.gov.in/data-protection-framework पर उपलब्ध है। समिति ने विभिन्न देशों में निजता कानूनों के बारे में व्यापक अध्ययन किया था और ये विवरण रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। प्रस्तावित विधेयक में ऐसे सभी कानूनों से सर्वोतम प्रथाओं को शामिल करने की अपेक्षा है।

(ग) : न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिति द्वारा रिपोर्ट और विधेयक में निजी डेटा को तीन श्रेणियों - व्यक्तिगत डेटा, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(घ) और **(ड.)** : जी, हां। सरकार ने इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया है और लोकसभा में पेश किए गए पीडीपीबी-2019 में इसे दर्शाया गया है।

(च) : लोकसभा में प्रस्तुतक विधेयक- पीडीपीबी-2019 विधेयक में एक खण्ड 91(2) है, जो सेवाओं की बेहतर लक्षित प्रदायगी अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथाविहित ढंग से साक्ष्य आधारित नीतियां तैयार करने के लिए गुमनाम तरीके से कोई भी निजी डेटा अथवा अन्य गैर निजी डेटा उपलब्ध कराने के लिए किसी डेटा फिडुशियरी या डेटा प्रोसेसर को निदेशित करने के लिए सक्षम बनाता है।

******